न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
150/21	01.10.21	18.01.23

उनवान

1. बदलूराम पुत्र श्री जहारिया
2. फूलवती पुत्री जहारिया उर्फ जवाहर
3. सूरजी पुत्री जहारिया उर्फ जवाहर
4. भौती देवी पत्नि जहारिया उर्फ जवाहर जाति गूर्जर निवासी हुसैनपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–वादीगण

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र बल्देव सिंह
2. सुखदेव सिंह पुत्र बल्देव सिंह
3. बलबीर सिंह पुत्र बल्देव सिंह
4. अमरीकसिंह पुत्र बल्देव सिंह
5. धर्मवीर सिंह पुत्र बल्देव सिंह
6. रणवीर कौर
7. रतनकौर
8. सतपालकौर पुत्रीयान बल्देव सिंह जाति भाटसिक्ख निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0 टी0 एक्ट0)

उपस्थिति:–1. श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादीगण की ओर से।

2. प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे के सुक्ष्मवृतांत निम्न प्रकार से है:–

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खैरथल मे बल्देव सिंह पुत्र सन्तासिंह निवास करता था उसे ग्राम खैरथल मे साबिक आराजी खसरा नम्बर 1175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा कि जिसके हाल नम्बर 1615 बने है अलोट था जिसकी कीमत कर्जा भर कर दिनांक 1.08.70 को सनद संख्या 990(70) प्राप्त कर ली और बल्देव सिंह आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया ।

18/1/23

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ़बास (अलवर)

आराजी खसरा नं0 1175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा वाके खैरथल बने है। जिसमें 01 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार बल्देवसिंह पुत्र संतासिंह था, जिसका अमल जमाबन्दी में हो रहा है। नकल जमाबन्दी व सनद लफे हाजा है।

बल्देव सिंह पुत्र सन्तासिंह ने अपनी आराजी खसरा नं0 1175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा खैरथल जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक तहरीर 28.05.71 व तस्दीक दिनांक 10.06. 71 को मिन वादी के पिता जहारिया उर्फ जवाहर व श्योनारायण व दाताराम को समभाग मे बेच दिया और क्रेतागण को काबिल व दखील करा दिया ।

बाद खरीद आराजी अपना 1/3 हिस्सा दाताराम पुत्र महादेव गुर्जर ने जर्ये इकरारनामा दिनांक 11.08.83 के मिन वादी के पिता जहारिया उर्फ जवाहर को मुबलिग 650/–रूपये में बेच दी और अपने 1/3 हिस्से पर काबिज करा दिया बाद ईकरारनामा दाताराम पुत्र महादेवा की मृत्यु सन् 2008 मे हो गई और दाताराम लावल्द बिला गुजर गया।

श्योनारायण पुत्र महादेव ने भी अपना हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 16.12.83 के 00/–रूपये मे बेच दिया और समस्त आराजी 01 बीघा 18 बिस्वा पर वादीगण का पिता पति जहारिया उर्फ जवाहर काबिज व दखिल हो गया । उसके गुजरने पर हम वादीगण बिज व दखिल है।

प्रतिवादीगण के पिता बल्देव पुत्र सन्तासिंह ने प्रतिफल प्राप्त कर अपनी आराजी सरा नं0 1175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा कुल किता 2 बा 01 बीघा 18 बिस्वा को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेच दिया। चूंकि वादीगण के बुजुर्गान पढ थे इसलिए रजि0 बय का इन्तकाल नही चढ पाया।

प्रतिवादीगण चालाक किस्म के लोग है उन्हे पता था कि आराजी उनके पिता को चुका है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों व पटवारी से मिल कर अपने नाम का काल चढवा लिया व अमल दरामद करा लिया, जब मिन वादी को ग्राम में सुरसुराहट क 26.05.2017 को मिला कि प्रतिवादीगण आराजी को बाला–बाला बेचने की फिराक तो मिन वादी पटवारी हल्का से दिनांक 29.05.2017 को जमाबन्दी प्राप्त की तो त हालात व फर्जकारी का ज्ञान हुआ। जिस पर मन वादी प्रतिवादीगण से मिला तथा व रिकार्ड को दिनांक 02.06.2017 को दुरूस्त कराने से इन्कार हो गया। इसलिए ण के पास वाद दायर करने के अलावा कोई विकल्प नही रहा। इसलिए दावा रारहक बमय हुक्मइम्तनाई दवामी मशअरे इसके कि वादीगण साबिक आराजी खसरा 175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा

18/1/23

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

01 बीघा 18 बिस्वा कि जिसके हाल खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.7000हे0 का 01 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा खैरथल तहसील किशनगढबास का खातेदार काश्तकार है और जिस तरह का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण का आया है काटा जाकर वादीगण का अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वो गलत अमल के आधार पर आराजी का कोई जुजु हिबा, लीज, रहन, बय द्वारा मुन्तकिल ना करे। यथास्थिति बनाये रखे।

दिनांक 29.05.2017 को राजस्व रिकार्ड की नकले वादी ने पटवारी हल्का से प्राप्त की तो गलत अमल की जानकारी हुई जिसके बाद दिनांक 02.06.2017 को प्रतिवादीगण को गलत इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए कहा तो वो साफ इन्कार हो गये वो गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगो को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दी। जो तारिखे दावा हाजा के लिए बिनायदावी बिनायमुखसमत है। जिससे दावा अन्दर मियाद पेश है।

घोषित किया जावे कि साविक आराजी खसरा नम्बरान 1175 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा व 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल वादीगण खरीदारान है जिसके हाल खसरा नं0 1615 रकवा 0.7000हे0 मे से रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल के वादीगण खातेदार काश्तकार है वो इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी का अमल करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.7000हे0 मे से रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास को जर्ये रहन, बय, हिबा, लीज इत्यादि के द्वारा दीगर लोगो को बेचान नही करे रिकार्ड वो मौका की स्थिति यथास्थिति बनाये रखें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थिति नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पीडब्लू–1स्वंय का शपथ पत्र पीडब्लू–2 सुबेंसिह पुत्र छाजूराम, रणजीत पुत्र छाजूराम, पीडब्लू–3 पेश किये।

दस्तावेजी साक्ष्य में हाल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल–2 प्रदर्श–2, इकरारनामा की प्रमाणित प्रति दिनांक 16.12.83,व 11.8.83, व सनद दिनांक 01.08.1970 पेश किये है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

18/1/23
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न सनद संख्या 990(70) दिनांक 01.08.70 जो प्रदर्श–6 में साबिक ख0न0 1175 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1177 मिन 12 बिस्वा का बलदेव सिंह पुत्र सन्तसिंह को खातेदारी सनद प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के पिता बलदेव उक्त आराजी के खातेदार घोषित हुए। जिस के आधार पर मिन वादीगण के पिता को प्रतिवादीगण के पिता ने जर्ये बयनामा 28.5.71 व दिनांक 10.6.71 को मिन वादी के पिता जहारिया उर्फ जवाहर व श्योनारायण व दाताराम को समभाग मे बेचान कर दिया तथा बयनामा में केतागण को काबिज व दखील करा दिया। जिसके बाद 11.8.83 को उक्त इकराररनाम के आधार पर दाताराम ने अपना 1/3 हिस्सा मिन वादी के पिता जहारिया उर्फ जवाहर को बेचान कर दिया। तथा उक्त बयनामा 28.5.71 के आधार पर ही श्योनारायण पुत्र महोदव ने भी अपना हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 16.12.83 के द्वारा मिन वादीगण के पिता को बेचान कर दिया । क्योकि दिनांक 28.5.71 के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता ने वादीगण के पिता को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान कर दिया था । लेकिन राजस्व रिकार्ड में बयनामा का अमल नही होने के कारण प्रतिवादीगण का नाम जमाबंदीयात में चला आ रहा है। जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति सिद्व होता है कि प्रतिवादीगण के नाभ इन्द्राज हाल ख0न0 1615 रकबा 0.70हे0 में से 1 बीघा 18 बिस्वा गलत दर्ज हुआ है। जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद बाखूबी साबित होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वो वादीगण डिकी किया जाना कानून संगत वो न्यायोंचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी किया जाकर वादीगण को साबिक ख0न0 1175 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 1615 रकबा 0.7000 हे0 में से 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल का खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा जो अमल हाल जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वादीगण स्वंय वहन करेगें। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
150 / 21	01.10.21	18.01.23

उनवान

1. बदलूराम पुत्र श्री जहारिया
2. फूलवती पुत्री जहारिया उर्फ जवाहर
3. सूरजी पुत्री जहारिया उर्फ जवाहर
4. भौती देवी पत्नि जहारिया उर्फ जवाहर जाति गूर्जर निवासी हुसैनपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–वादीगण

बनाम

1. लाभसिंह पुत्र बल्देव सिंह
2. सुखदेव सिंह पुत्र बल्देव सिंह
3. बलबीर सिंह पुत्र बल्देव सिंह
4. अमरीकसिंह पुत्र बल्देव सिंह
5. धर्मवीर सिंह पुत्र बल्देव सिंह
6. रणवीर कौर
7. रतनकौर
8. सतपालकौर पुत्रीयान बल्देव सिंह जाति भाटसिक्ख निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0टी0एक्ट0)

उपस्थितिः–1. श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पर्चाडिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाकर वादीगण को साबिक ख0नं0 1175 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1177 मिन रकबा 0–12 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 1615 रकबा 0.7000हे0 मे से 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल का खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है तथा जो अमल हाल जमाबंदी मे प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। खर्चा वादीगण स्वंय वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)